

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(09)पंरावि/विधि/विविध/2025/ई-54050

जयपुर, दिनांक:-31.08.2026

::आदेश::

विभागीय आदेश एफ.3(48)जांच/पंरावि/टाकरवाडा/कोटा/25/ई-53621 राजकाज संदर्भ संख्या 13524345 दिनांक 11.02.2025 के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी प्रशासक द्वारा स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दिया जाता है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया जाकर उसे पद मुक्त किए जाने के आदेश स्वयं स्तर पर जारी किए जाने की कार्यवाही की जावे और इसकी सूचना पंचायती राज विभाग को प्रेषित की जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(जसवन्त सिंह)

उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त।
6. जिला कलेक्टर, समस्त।
7. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।